न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीणा आर.ए.एस.

(223 आर.टी.एक्ट)

क्वाः- 59 / 2021
.एस .संख्याः- 2021 / 113

उनवान

दराम पुत्र रामसिंह
मवाडू
शिवराम — पिसरान नारायण
मकिशोर
मस्त जातियान गुर्जर निवासी बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
...अपीलान्ट्स।

बनाम

मरूप पुत्र गिर्राज
रामभरोसी पुत्र मांगीलाल
अमरसिंह उर्फ हरिया
वेज्जे उर्फ विजेन्द्र
हरकेश — पिसरान श्रीलाल
रज्जा उर्फ राजेन्द्र
जगदीश — पिसरान पुरण
घनश्याम
रामेश्वर — पिसरान रामखिलाडी
तारेश
भूरसिंह पुत्र रामभरोसी
बबुआ उर्फ रामोतार पुत्र रामरूप
भरतसिंह पुत्र मलुआराम
हररूप पुत्र बुद्धा उर्फ रामहेत
समस्त जातियान गुर्जर निवासी बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
...रेस्पोडेन्ट्स।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:33 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः-
1. श्री सुरेश चन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट्स ... 00, 09 ...
2. श्री हरिवल्लभ चतुर्वेदी अधिवक्ता रेस्पो0 ...

प्राधिकारी
...धोपुर

Scanned with CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 14.02.2023

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड टोडाभीम जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 70/2019 बउनवान वेदराम बनाम रामरूप में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में नियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा मातहत अदालत के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 426/556 रकबा 1.26 है0 ग्राम बलेडी तहसील टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नंबर 426/556 रकबा 1.26 है0 ग्राम बलेडी तहसील टोडाभीम के कुछ भाग में अपने बुर्जुर्गों की याद मे लाखो रूपया लगाकर भोले बाबा का स्थान बना रखा है। उक्त आराजी की एक दिशा में खसरा नंबर 432/651 रकबा 0.09 है0 गैरमुमकिन देव तथा खसरा नंबर 426/650 रकबा 0.47 है0 चारागाह भूमि है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया। मातहत अदालत ने दिनाक 27.08.21 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

अपील संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में कही अंकित नही किया है कि आराजी विवादग्रस्त पर वादी/अपीलांटस् का कब्जा काश्त नही है। संवत् 2070 से वादी/अपीलांटस् का कब्जा काश्त नही माना जबकि वादी/अपीलांटस् द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी संवत् 20[illegible] प्रस्तुत की है जिसमें बाजरा काश्त होना अंकित है फिर भी कब्जा नही माना है तथा अपने निर्णय कही अंकन नहीं किया कि वादी/अपीलांटस् के अलावा किसी अन्य का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। मातहत अदालत ने बिना कोई ठोस आधार बताये ही वादी का कब्जा काश्त नही होना मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 27.08.21 अपास्त फरमाया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिववताओं की बहस सुनी गयी।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में [illegible] को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण/अपीलांटस् आराजी 426/556 [illegible] ग्राम बलेडी के खातेदार है उक्त आराजी को वादी[illegible] रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:33 IST
Reason: SelfAttested

ल प्राधिकारी
माधोपुर

Scanned with CamScanner

1988 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं उक्त आराजी के कुछ भाग में अपने बुर्जुगों की याद में लाखो रूपय खर्च कर भोले बाबा का स्थान बना रखा है उक्त स्थान की साफ सफाई करने पर प्रतिवादीगण बाधा उत्पन्न कर रहे है। अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जावें। अपील के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दृष्टांत 2000-01 डी.एन.जे. (राज.) (सप0) पेज 245, आर.आर.डी. अप्रैल 2001 पेज 190 पेश किए।

जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि उक्त आराजी पर अपीलांटस् का कभी भी किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है। अपीलांटस् बदनियति से फर्जी तरीके से उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते है। उक्त आराजी सैकडों वर्षों से देवताओ के मंदिर बने हुये है। मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के निर्णय से यह बखूबी साबित होता है। अतः अपील अपीलाट खारिज की जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत 2075-2078 ग्राम बलेडी पटवार हल्का कटाराअजीज तहसील टोडाभीम मे आराजी खसरा नंबर 426/556 रकबा 1.26 है0 रूपन, रामकिशोर, रामबाबू, विद्या, शिवराम पिसरान नारायण का प्रत्येक बहिस्सा 1/12, शांति पत्नी नारायण बहिस्सा 1/12 तथा वेदराम पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है और खसरा नंबर 426/650 रकबा 0.47 चारागाह, खसरा नंबर 432/651 गैर मुमकिन देव भूमि दर्ज के रूप में दर्ज रिकार्ड है। मूल वाद खसरा नंबर 426/650 व खसरा नंबर 426/556 के बीच बनी दीवार को लेकर है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्थाई निषेधाज्ञा के निम्न प्रावधान हैः-

"(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू-धारक अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।"

इससे स्पष्ट है कि स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दो आवश्यक तथ्य है कि:-

(1) व्यक्ति रिकॉर्डेड खातेदार हो।

(2) व्यक्ति वाद दिनांक को भौतिक रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज हो।

परन्तु पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2021 के अनुसार वास्तविक रूप मे अपीलांट/वादी का कोई भौतिक रूप से कब्जा-काश्त नही हैं। अपीलांट/वादी द्वारा विवादित आराजीयात के कय से पूर्व ... खडे है तथा देवताओं के देवरे बने है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि ... वर्षों ... काश्त नही की गई है। स्थाई निषेधाज्ञा की आड में एक ... के बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नहीं किया जा सकता है। अपिलार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां लागू नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट/वादी का विवादित आराजीयात पर "मौरूसी" रूप से कब्जा साबित नहीं कर पाने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है अतः अपील खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी [illegible] के मुकदमा नम्बर 70/2019 बउनवान भेराराम बनाम रामकला व अन्य निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2021 को बहाल रखा जाता है। तदानुसार फर्द डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 14.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
[illegible] राजस्व अपील अधिकारी,
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:08:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner